

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
मंगलवार, 11 फरवरी, 2014/29, माघ, 1935 (शक)

संख्या-11

पाँचवी विधान सभा के पहले सत्र के दूसरे भाग का प्रारंभ

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पाँचवी विधान सभा के पहले सत्र का दूसरा भाग वृहस्पतिवार दिनांक 13 फरवरी, 2014 को अपराह्न 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में प्रारंभ होगा।

(2) पहले सत्र के दूसरे भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन:
पहले सत्र के दूसरे भाग में कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर दिनांक 13, 14, एवं 15 फरवरी, 2014 के लिए निर्धारित की गई है। दिनांक 15 फरवरी, 2014 (शनिवार) को होने वाली बैठक, सदन के निर्णय पर निर्भर करेगी।

(3) विधान सभा की बैठकों का समय:
जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, विधान सभा की बैठकें नियत की गई तिथियों को अपराह्न 02.00 बजे से आरम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक कि उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

(4) प्रश्नकाल नहीं होगा:
इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा।

(5) विशेष उल्लेख (नियम-280):
जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्रायः उल्लेख के पाठ को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है।

(6) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं:

विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 89 और नियम 119 में प्रावधान है कि :

जो सदस्य कोई गैर सरकारी संकल्प/विधेयक प्रस्तुत करना चाहे, वे सचिव को अपने इस अभिप्राय की लिखित सूचना कम से कम 12 दिन पहले देंगे और सूचना के साथ उस संकल्प/विधेयक के पाठ की एक प्रति भेजेंगे जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि पांचवी विधान सभा में कार्य मंत्रणा समिति एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अभी तक गठन नहीं हुआ है इसलिए आगामी सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों से संबंधित सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) सूचना कार्यालय:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधान सभा का सूचना कार्यालय कमरा नं:-46, पुराना सचिवालय में स्थित है।

(8) दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र:

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 13/02/2014 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 12/02/2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल, लेपटॉप, टेबलेट्स एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

पी.एन. मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II
(General information regarding to legislative & other matters)
Tuesday 11th February, 2014/29 Magha 1935 (Saka)

No:- 11

1. CONVENING OF THE SECOND PART OF FIRST SESSION OF THE FIFTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the sitting of the second part of First Session of the Fifth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Thursday, the 13th February 2014 at 2.00 P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

2. ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SECOND PART OF FIFTH SESSION:

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 13th, 14th & 15th February 2014. The sitting on 15th February 2014 (Saturday) is subject to decision of the House.

3. TIMES OF SITTINGS:

Unless the Speaker otherwise directs, the Legislative Assembly will, on days when there are sittings, sit **from 2.00 PM** and continue until the business fixed for the day is concluded.

4. NO QUESTION HOUR:

There shall be no Question Hour during the Session.

5. SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Hon'ble Members, who want to raise matters under Rule 280, may give notice of the same by 11.00 A.M on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting. Repetition of the matter already raised in any sitting will not be allowed in any subsequent sitting during this session.

Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. If the text contains any objectionable or derogatory word or sentence, such part of text shall be deleted at the discretion of the Hon'ble Speaker. Hon'ble Members are further requested that matter should relate to only one Department and raise only one issue.

6. Notice of Resolutions and Bills by Private Members:

Rule 89 and Rule 119 of the Rules of Procedure and Conduct of Business stipulates that "a Private Member who wishes to move a Resolution or a Bill, shall give not less than 12 days notice to the secretary of his intention and shall together with the notice, submit a copy of the resolution or Bill which he wishes to move".

Further, it is also informed to the Hon'ble Members that Business Advisory Committee and Committee on Private Members Bill and Resolutions of Fifth Delhi Legislative Assembly has not been constituted till today. Hence, notices for Private Members Business will not be entertained in this ensuing session.

7. NOTICE OFFICE:

Members are informed that the **NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46 of this Assembly.**

8. VISITORS GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 13.02.2014 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e., 12.02.2014.

Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting.

No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Hon'ble Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: -CELLULAR PHONE, LAPTOP, TABLETS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

P.N.Mishra
Secretary